कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1055 / 2021 / 10–11 / 1325 भोपाल, दिनांक 18/4/22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई को विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 339.80 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रस्ताव।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-23/2021-FC दिनांक 08.04.2022

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन संलग्न है।

अतः कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13/4/2022
(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1055 / 2021 / 10–11 / 1326 भोपाल, दिनांक 18/4/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
4. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13/4/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का ज्ञाप क्र. 8-23/2021-FC दिनांक 08-04-2022 से बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई को विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 339.80 हेक्टेयर वन भूमि का व्यपवर्तन हेतु अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन

क्र.	अधिरोपित शर्त	शर्तों का पालन प्रतिवेदन
A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval		
i.	The State Govt. will submit the documentary evidence/relevant record indicating that an area of 260 ha is under occupation by way of Nistar/Community Rights;	सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) के बोरी अभ्यारण में स्थित वनग्राम सुपलई की वर्ष 1997 में वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक ईको विकास समिति हेतु सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार की गई जिसमें आवर्ती चराई हेतु कुल 1552.35 हेक्ट. भूमि समिति को आवंटित की गई थी जो योजना के पेज क्र. 67 एवं 68 पर उल्लेखित है पेज की सत्यापित प्रति एवं अधीक्षक, बोरी अभ्यारण इटारसी का पत्र **परिशिष्ट–01** (पेज क्र. 01 से 05) पर संलग्न है। सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) के बोरी अभ्यारण में स्थित वनग्राम सुपलई के विस्थापन उपरांत कुल 418.00 हेक्ट. वनभूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम सुपलई का क्षेत्रफल 158.00 हेक्ट. एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतु उपयोग की जाने वाली उपरोक्त 1552.35 हेक्ट. में 260.00 हेक्ट. क्षेत्र शामिल है।
ii.	The State Govt. shall submit a written confirmation that the Village Suplai is within the core of Bori Wildlife sanctuary;	वनग्राम सुपलई सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) के अंतर्गत बोरी अभ्यारण में कोर जोन स्थित है। बोरी अभ्यारण का मानचित्र **परिशिष्ट–02** पर संलग्न है।

<table>
<tr><td>iii.</td><td>State Government shall submit the certificate of compliance under FRA, in both the areas i.e. the area being vacated and the area where the people will be relocated;</td><td>
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम/टोला का नाम</th><th>कक्ष क्र.</th><th>क्षेत्रफल (हेक्ट. में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सुपलई भाग–01</td><td>पी.–174</td><td>110.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सुपलई भाग–02</td><td>पी.–179</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सुपलई भाग–03</td><td>आर.एफ.–225</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सुपलई भाग–04</td><td>पी.–273</td><td>79.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग</td><td>339.80</td></tr>
</table>
वनग्राम सुपलई के सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) से विस्थापन/पुनर्वास हेतु प्रस्तावित उपरोक्त स्थालों का एफ.आर.ए. प्रमाणपत्र परिशिष्ट–3 (A,B,C एवं D) पर संलग्न है। वनग्राम सुपलई के विस्थापन /पुनर्वास उपरांत रिक्त वनभूमि का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र परिशिष्ट–04 पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>The correct and complete KML file of the area proposed for diversion shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details;</td><td>व्यपवर्तित वनक्षेत्र की KML file ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसका I.D. No. 47177 है।</td></tr>
<tr><td>v.</td><td>The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).</td><td>पालन प्रतिवेदन ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval</td></tr>
<tr><td>i.</td><td>Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the State in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019.</td><td>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी. (सी.) 202/95 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2019 को आई.ए. नं. 3924 और मंत्रालय के दिशा–निर्देश दिनांक 20.05.2019 के अनुसार डायवर्ट होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।</td></tr>
</table>

ii.	The State Government shall ensure that the area under the Suplai Village becomes inviolate and no families are left within this village for further relocation. The 418.00 ha area to be made available as inviolate on account of relocation of village Suplai will be used for Wildlife conservation;	वनग्राम सुपलई के समस्त ग्रामीणों का पूर्ण रूप से विस्थापन किया जावेगा। ग्राम विस्थापन उपरांत रिक्त वनक्षेत्र इनवेलेट के रूप में रहेगा। विस्थापन उपरांत कोई भी व्यक्ति वहॉ पर शेष/निवासरत नही रहेगा। वनग्राम सुपलई के विस्थापन उपरांत रिक्त वनक्षेत्र 418.00 हेक्ट. वनभूमि को टाइगर कंजर्वेशन प्लान के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र के रूप में तैयार किया जावेगा।
iii.	State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are relocated do not return to the area;	शर्त का पालन किया जावेगा।
iv.	The Forest Department should encourage rehabilitated families in relocated forest area for improvement of their livelihood based on tree/ forest based economic opportunities by providing appropriate training and imparting skillsets in ecotourism, Bamboo and Medicinal plants and other NTFPs through sustainable collection, processing, value addition and marketing etc. to help in conservation of forest area around rehabilitation;	शर्त का पालन किया जावेगा।
v.	The State Government shall ensure that further diversions of forest land in the tiger corridor of Satpura Tiger reserve for any upcoming developmental project should be curtailed as much as possible or appropriately mitigated with green infrastructures;	शर्त का पालन किया जावेगा।
vi.	The State Govt shall ensure that the resettled village should be fenced off as an enclosure on the forest side so as to prevent its further expansion and minimize human wildlife interfaces;	वन सीमा की तरफ फेंसिंग किया जावेगा।

vii.	The area to be vacated shall be mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF under relevant sections of the Indian Forest Act, 1927, or the State Forest Act as the case may be;	वनग्राम सुपलई के विस्थापनउपरांत रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही Central Provices Gazette में जारी अधिसूचना क्रमांक / 917 दिनांक 21.02.1879 से भारतीय वनअधिनियम 1878 की धारा 34 के तहत आरक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम सुपलई का क्षेत्रफल मालनी ब्लॉक में शामिल है। अधिसूचना की प्रति **परिशिष्ठ–06** पर संलग्न है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के टाइगर कंर्जेवेशन प्लान वर्ष 2008–09 से 2017–18 के Annexture–48 में उल्लेखित वनग्राम की सूची **परिशिष्ठ–07** पर संलग्न है। साथ ही यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं उक्त अधिसूचना में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नही है।
viii.	The State Government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of Village will be developed as per approved Wildlife Management Plan/NTCA Guidelines;	शर्त का पालन किया जावेगा।
ix.	The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and Government norms in this regard;	शर्त का पालन किया जावेगा।
x.	The State Goverment shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xi.	The State Govt. shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action compliance in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का पालन किया जावेगा।

xiii.	The State Govt. shall ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government / public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves;	प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/फलदार वृक्षों को सड़को के किनारे/ स्कूल/प्रस्तावित ग्राम के बाउन्ड्री के आसपास/ आवासीय क्षेत्र के आसपास/ अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि पर खड़े फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा।
xiv.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department;	व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमण्डल (सा.) नर्मदापुरम, वनविभाग द्वारा किया जाता है।
xv.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvi.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvii.	The forest land proposed to be diverted may be transferred by the State Government to the villagers being rehabilitated;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xviii.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xix.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year,	शर्त का पालन किया जावेगा।
xx.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का पालन किया जावेगा।

xxi.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xxii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त का पालन किया जावेगा।

13/4/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल